रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2001/कार्तिक 10, 1923
No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2001/KARTIKA 10, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2001 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, -

(i) उपखंड (क) में, "वह उत्पाद अनुसूची 1 में उपदर्शित उत्पाद की अपेक्षाओं और विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है" शब्दों और अंक के स्थान पर "वह उत्पाद यथास्थिति अनुसूची 1 में उपदर्शित या जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उत्पाद की अपेक्षाओं और विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (घ) में, "जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं0 आईएस-1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "जो यथास्थिति भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं0 आईएस-1460 या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (च) में "जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं0 आईएस-2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "जो यथास्थिति भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं0 आईएस-2796 या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iv) उपखंड (द) में "या अनुसूची 1 के अनुरूप भी नहीं है" शब्दों और अंक के स्थान पर "या यथास्थिति अनूसूची 1 या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप भी नहीं है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त आदेश के खंड 3 में, -

(i) उपखंड (iii) के मद (ख) में "उत्पाद की क्वालिटी अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुसार है" शब्दों और अंक के स्थान पर "उत्पाद की क्वालिटी यथास्थिति अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (v) में "कोई व्यक्ति, अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल" शब्दों और अंक के स्थान पर "कोई व्यक्ति, यथास्थिति अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त आदेश के खंड 5 में, -

(i) उपखंड (1) में "अन्य परिमितियां, अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "अन्य परिमितियां, यथास्थिति अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (5) में "अन्य परिमितियां, अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप हैं" शब्दों और अंक के स्थान पर "अन्य परिमितियां, यथास्थिति अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. पी-11013/6/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3(i) में सा. का. नि. सं. 772(अ) तारीख 28 दिसंबर, 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 29st October, 2001

G.S.R. 814(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, namely. –

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2001.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Motor Spitit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and

Distribution and Prevention of Malpractices) Order 1998, (hereinafter referred to as the said order) -

(i) in sub-clause (a), the words "or as may be specified by the Central Government, as the case may be" shall be inserted at the end,

(ii) in sub-clause (d), after the words, letters and figures "Bureau of Indian Standards Specification No. IS-1460," the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted;

(iii) in clause (f), after the words, letters and figures "Bureau of Indian Standards Specification No. IS-2796," the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted;

(iv) in sub-clause (r), the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted at the end.

3. In clause 3 of the said Order, -

(i) in item (b) of sub-clause (iii), after the word and figure "Schedule I", the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted;

(ii) in sub-clause (v), after the word and figure "Schedule I," the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted.

4. In clause 5 of the said Order,–

(i) in sub-clause (1), the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted at the end;

(ii) in sub-clause (5), the words "or the specifications laid down by the Central Government, as the case may be" shall be inserted at the end.

[F. No. P-11013/6/2001-Dist.]
S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal Order was published in Part II, Section 3(i) of Gazette of India vide GSR No. 772(E) dated the 28th December, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.